

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 मई 2010—वैशाख 29, शक 1932

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2010

क्र. एफ-03-16-2010-पचास-2.—राज्य शासन द्वारा एतद्वारा सेवा भारती के संस्थापक श्री विष्णु कुमार जी की स्मृति में बाल/महिला विकास के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए विष्णुकुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

श्री विष्णुकुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान नियम

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य.—मध्यप्रदेश शासन महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इस पुनीत कार्य में व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था की सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन महिला एवं बच्चों के कल्याणार्थ किये गये कार्य के लिए श्री विष्णु कुमार जी के नाम से व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करेगा.

सेवा भारती के संस्थापक श्री विष्णु कुमार जी की समाज सेवा के क्षेत्र में संवेदनशीलता अनुकरणीय व सामाजिक कार्य में उनके योगदान के प्रति असीम आदर व्यक्त करते हुये राज्य शासन महिला एवं बच्चों के कल्याणार्थ किये गये कार्य के लिए श्री विष्णु कुमार जी महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान स्थापित करता है. इस राज्य स्तरीय सम्मान के अन्तर्गत रु. 1.00 (रुपये एक लाख) की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा. यह सम्मान महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिया जायेगा.

2. शीर्षक—यह नियम विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान नियम, 2010 कहलायेंगे और मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

3. पात्रता—

3.1 महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समाज सुधार (स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति, समाजिक उत्थान) के क्षेत्र में उनके द्वारा उल्लेखनीय और प्रमाणिक कार्य किया गया हो.

3.2 “निर्णायक मंडल अथवा चयन समिति” से अभिप्राय इन नियमों के नियम 6 के अन्तर्गत गठित निर्णायक मंडल से है.

4. विस्तार क्षेत्र.—मध्यप्रदेश में कार्यरत सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं को/व्यक्तियों के लिए यह सम्मान देय होगा.

5. सम्मान का स्वरूप.—विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के लिये किये गये कार्य एवं अनुपम उपलब्धि के लिये हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति की ओर से चयन करने पर देय होगा.

5.1 किसी व्यक्ति को अथवा स्वयंसेवी संस्था को महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्थापित कोई अन्य राष्ट्रीय सम्मान/राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर उसे विभाग के अन्य स्थापित सम्मान नहीं दिये जायेंगे, परन्तु जिन्हें राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया है, उनके नाम को भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय सम्मान की अनुशंसा के लिये विचार किया जा सकेगा.

6. चयन समिति का गठन.—राज्य शासन माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें 5 सदस्य मनोनीत किये जायेंगे कोरम के लिए कम से कम 3 सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य होगी प्रमुख सचिव/सचिव, आयुक्त महिला बाल विकास एवं प्रबंध संचालक म. प्र. महिला वित्त विकास निगम एवं 2 अशासकीय सदस्य चयन समिति में होंगे. आयुक्त महिला एवं बाल विकास चयन समिति की बैठक का संयोजन करेंगे.

6.1 ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी या उनका कोई निकट संबंधी (रिश्तेदार) चयन समिति का सदस्य नहीं होगा जिसने सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि दी है, अथवा उनका नाम सम्मान निर्णय के लिये प्रस्तावित है.

6.2 चयन समिति सम्मान के लिए प्राप्त प्रविष्टियों/अनुशंसाओं/नामांकनों में से किसी नाम अथवा चयन समिति स्वयं किसी उपयुक्त नाम को विचार में सम्मिलित करके अनुशंसा कर सकेगी.

6.3 सामान्यतः सम्मान के लिए एक नाम का चयन होगा परन्तु चयन समिति आवश्यकता पड़ने पर एक पुरस्कार के लिए एक से अधिक नामों का चयन भी कर सकेगी एवं तदनुसार उन्हें पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी.

7. चयन समिति की शक्तियां.—

7.1 चयन समिति प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग-अलग गठित की जायेगी.

7.2 चयन समिति के द्वारा किये गये चयन पर शासन विचार करेगा.

7.3 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकृत नहीं की जावेगी.

7.4 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक ही व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

7.5 चयन समिति की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा.

7.6 चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें मध्यप्रदेश शासन के सचिव के समतुल्य रेल/सड़क/वायु मार्ग से यात्रा व्यय तथा स्थानीय आतिथ्य प्रदान किया जायेगा.

8. चयन की प्रक्रिया.—

8.1 जिस वर्ष के लिये सम्मान प्रदाय किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिये संचालक/आयुक्त महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रमुख प्रादेशिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे. प्रविष्टियां प्रेषित करने हेतु कम से कम एक महीने का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर, परिवर्तन कर सकेगा.

- 8.2 प्रविष्टि व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनके सेवा काल से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुये प्रस्तुत कर सकेंगे.
- (1) नामांकन में स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय.
 - (2) महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के लिये उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी.
 - (3) उन्हें प्राप्त पूर्व में पुरस्कारों के विवरण.
 - (4) उनके बारे में पूर्व प्रकाशित प्रतिवेदन की जानकारी तथा प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि.
 - (5) सम्मान के लिये नामांकित स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र पत्रिकाओं द्वारा की गयी टिप्पणियों की फोटो प्रतियां, सत्य प्रतिलिपियां.
 - (6) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था की सहमति.
 - (7) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक वर्ष के लिये विचारणीय होंगीं.
 - (8) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय: यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवा का कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं है. निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाली समाज सेवा व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्थायें जो एक वर्ष की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिए चयन नहीं हो सके हैं, आगामी वर्षों में प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.
 - (9) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा.
- 8.3 प्रविष्टियों में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का होगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा. परन्तु राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सके.
- 8.4 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां/नामांकन की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा.

प्रपत्र

पंजी क्र.	व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 8.5 प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा.

- 8.6 निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिए संक्षेपिका राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत की जावेगी—
1. व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था का नाम एवं पता
 2. प्रस्तावक
 3. व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था का संक्षिप्त परिचय
 4. सेवा कार्य की उपलब्धियां
 5. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
 6. प्रमाण-समितियां
 7. प्रकाशन
 8. आत्म कथ्य (यदि कोई हो)
 9. पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति

9. चयन के मापदण्ड.—सम्मान के लिए व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था के चयन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे.

- 9.1 पुरस्कार के लिए चयन समिति द्वारा ऐसे समाजसेवी व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था का चयन किया जायेगा जिसका समाज सेवा का कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश होगा.
- 9.2 चयन समिति के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिए उस वर्ष के पुरस्कार के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष वह इसके सदस्य हैं.
- 9.3 शासकीय एवं अर्ध शासकीय वेतन भोगी पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे.
- 9.4 इस पुरस्कार के लिए अन्य कोई गैर विभागीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था भी पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.
- 9.5 सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान से संबंधित होना चाहिये.
- 9.6 सम्मान के लिए भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्यों का आंकलन आवश्यक है. और सेवा कार्य में व्यक्ति/स्वयंसेवी की संस्था की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है. इसके लिए उन्हें इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.
- 9.7 सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा का योगदान संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये.
- 9.8 व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था के उसी कार्य को लिया जावेगा जिस कार्य से वह सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी है.
- 9.9 परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, का उल्लेख किया जा सकेगा.

- 9.10 किसी स्वैच्छिक संस्था से सम्बद्ध समाज सेवी व्यक्ति के उसी कार्य को पुरस्कार के लिए विचार में लिया जाएगा. जिस कार्य से समाज सेवी व्यक्ति सीधे तौर पर जुड़े थे और अब भी है, संस्था की असमस्त सेवा उपलब्धियों का समाज सेवी व्यक्ति के हित में आंकलन नहीं होगा.

10. सम्मान की घोषणा.—चयन समिति द्वारा सम्मान के लिये जिन नामों का चयन होगा उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था के नाम की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

11. अलंकरण समारोह.—यह सम्मान प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा.

11.1 सम्मान के अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा. जिसमें चयनित व्यक्तियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा वह विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये एक सहायक साथ में ला सकेंगे. जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी. चयनित व्यक्तियों को रेल/सड़क/वायुमार्ग से यात्रा करने की पात्रता होगी.

11.2 अलंकरण समारोह में चयन समिति के सदस्यों को भी राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा.

12. वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां—

12.1 सम्मान प्रक्रिया, चयन समिति की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार संचालक/आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश को होंगे. इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

13. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.—राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है. के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास में वेष्टित होंगे.

14. पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव.—संचालक/आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष पुरस्कार की प्रविष्टियों चयनित महिलाओं आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र कार्य आदि के संबंध में समारोह के शपथ एक विवरणिका जारी की जावेगी, जिसमें इस पुरस्कार के उद्देश्य स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे.

लवलीन कक्कड़, प्रमुख सचिव.